

संस्कृति मंत्रालय
मांग संख्या 18
संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1956.20	55.63	2011.83	2430.00	70.00	2500.00	2430.00	58.63	2488.63	2661.79	76.68	2738.47
वसूलियां	-4.89	...	-4.89
प्राप्तियां
निवल	1951.31	55.63	2006.94	2430.00	70.00	2500.00	2430.00	58.63	2488.63	2661.79	76.68	2738.47
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	25.96	...	25.96	29.24	...	29.24	31.50	...	31.50	35.47	...	35.47
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	646.07	40.89	686.96	655.63	25.00	680.63	682.05	25.00	707.05	882.37	42.00	924.37
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	72.79	5.23	78.02	75.46	10.00	85.46	82.39	7.55	89.94	87.96	8.68	96.64
4. संग्रहालय	58.91	1.66	60.57	65.17	20.00	85.17	60.74	8.63	69.37	66.93	10.00	76.93
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	27.77	7.85	35.62	27.80	10.00	37.80	27.82	12.45	40.27	31.32	11.00	42.32
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	831.50	55.63	887.13	853.30	65.00	918.30	884.50	53.63	938.13	1104.05	71.68	1175.73
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. शताब्दी एंव जयंती समारोह	342.50	...	342.50	328.00	...	328.00	243.01	...	243.01
7. कला संस्कृति विकास योजना	537.83	...	537.83	244.77	5.00	249.77	234.77	5.00	239.77	305.48	5.00	310.48
8. संग्रहालय का विकास	173.33	...	173.33	71.03	...	71.03	69.33	...	69.33	76.00	...	76.00
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	37.51	...	37.51	32.51	...	32.51	52.01	...	52.01
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.65	...	0.65	34.58	...	34.58	34.58	...	34.58	38.48	...	38.48
11. पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	711.81	...	711.81	742.39	5.00	747.39	711.19	5.00	716.19	726.98	5.00	731.98
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. अकादमियों को सहायता	135.18	...	135.18	352.74	...	352.74	352.74	...	352.74	356.60	...	356.60
13. संग्रहालयों को सहायता	112.91	...	112.91	252.15	...	252.15	252.15	...	252.15	247.81	...	247.81
14. पुस्तकालयों को सहायता	125.12	...	125.12	119.26	...	119.26	119.26	...	119.26	118.15	...	118.15
15. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	35.42	...	35.42	96.92	...	96.92	96.92	...	96.92	94.96	...	94.96

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	408.63	...	408.63	821.07	...	821.07	821.07	...	821.07	817.52	...	817.52
अन्य												
16. अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय	4.26	...	4.26	13.24	...	13.24	13.24	...	13.24	13.24	...	13.24
17. वास्तविक वसूली	-4.89	...	-4.89
जोड़-अन्य	-0.63	...	-0.63	13.24	...	13.24	13.24	...	13.24	13.24	...	13.24
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	408.00	...	408.00	834.31	...	834.31	834.31	...	834.31	830.76	...	830.76
कुल जोड़	1951.31	55.63	2006.94	2430.00	70.00	2500.00	2430.00	58.63	2488.63	2661.79	76.68	2738.47
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	1876.72	...	1876.72	2145.71	...	2145.71	2178.39	...	2178.39	2450.82	...	2450.82
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	25.96	...	25.96	29.24	...	29.24	31.50	...	31.50	35.47	...	35.47
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	55.63	55.63	...	70.00	70.00	...	58.63	58.63	...	76.68	76.68
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1902.68	55.63	1958.31	2174.95	70.00	2244.95	2209.89	58.63	2268.52	2486.29	76.68	2562.97
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	175.50	...	175.50	172.06	...	172.06	175.50	...	175.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	48.63	...	48.63	79.50	...	79.50	48.00	...	48.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़-अन्य	48.63	...	48.63	255.05	...	255.05	220.11	...	220.11	175.50	...	175.50
कुल जोड़	1951.31	55.63	2006.94	2430.00	70.00	2500.00	2430.00	58.63	2488.63	2661.79	76.68	2738.47

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के सचिवालय के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इस देश में पुरातत्व अवशेषों के सर्वेक्षण और उनके अध्ययन के मूल उद्देश्य से वर्ष 1861 में की गई थी। एएसआई संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व विरासत स्मारकों तथा पुरावशेषों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास करना, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों के आस-पास बगीचों का रख-रखाव तथा नए बगीचों का विकास करना, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और उत्खनन करना, शिलालेखों और भारतीय वास्तुकला के विभिन्न चरणों का विशेष अध्ययन करना, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण करना, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रचालन करना तथा पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके केन्द्रीय रूप से संरक्षित 3686 स्मारक (विश्व विरासत स्मारकों सहित) हैं जिसमें प्रागैतिहासिक पाषाण काल के स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर तथा किले शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन भी शुरू किया गया है।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण:** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत की जनसंख्या के संबंध में जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान संचालित करता है तथा भारतीय जनता के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दी एव जयंती समारोह:** इसमें वर्ष 2017-18 के दौरान तथा विगत समारोहों के शेष कार्यक्रमों के लिए शताब्दियों एवं वर्षगांठ से संबंधित समारोहों के लिए प्रावधान है। इसमें चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित करने के लिए प्रावधान भी शामिल है।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** इन समावेशी स्कीमों में मिशन तथा स्कीमों अर्थात् दांडी संबंधी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन, कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्मारकों के रखरखाव, सांस्कृतिक मानचित्रण, अध्येतावृत्ति योजना, कलाकार पेंशन योजना, सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान, टी.वी. कार्यक्रम एवं कला और संस्कृति संबंधी अन्य मीडिया प्रचार, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संबंधी योजना, बौद्ध/तिब्बती संस्थानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता, देशी उत्सव एवं मेले, डीटीएच चैनल, टैगोर सांस्कृतिक परिसर, मंच कला केन्द्र एवं अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना, साहित्यिक कार्यक्रमों में कार्यरत संस्थान एवं व्यक्ति, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए टैगोर पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, जलियांवाला बाग स्मारक का विकास तथा बौद्ध दर्शन उच्चतर अध्ययन विद्यालय, ताबो शामिल हैं।

8. **संग्रहालय का विकास:** यह प्रावधान संग्रहालय योजना, विज्ञान शहरों, संग्रहालय संग्रह के डिजिटिकरण एवं संग्रहालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं तथा संग्रहालय व्यावसायिकों हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण योजना संबंधी कार्यक्रमों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और प्रकाशन स्कीम से संबंधित कार्यक्रमों के व्यय हेतु है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान भारत-मैत्री सोसाइटी हेतु अनुदान, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक स्कीम, भारत महोत्सव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल, अंतरराष्ट्रीय कला परिषद एवं संस्कृति एजेंसी परिसंघ (आईएफएसीसीए), अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केन्द्र, रोम हेतु सहयोग, यूनेस्को को सहयोग तथा विश्व विरासत निधि को सहयोग से संबंधित कार्यक्रमों के व्यय हेतु है।

11. **पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन:** यह प्रावधान देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने के उद्देश्य से इस मिशन से संबंधित कार्यक्रमों के व्यय हेतु है।

12. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

13. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विकटोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वाविद्यालय, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी, तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यक्रमों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।